

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 23] तृई बिहली, सोमवार, जमखरी 29, 1972/माघ 9, 1894

No. 23] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 29, 1973/MAGHA 9, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 29th January 1973

SUBJECT.—Trade with Bangladesh during the period from 28th March 1972 to 27th March, 1973.

No. 11-ITC(PN)/73.—Attention is invited to the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 57-ITC(PN)/72 dated the 20th April, 1972, on the above subject, as amended from time to time.

2. In the said Public Notice, in Annexure I which contains the list of commodities for exports to Bangladesh under the Limited Payments Arrangement, the ceiling in respect of some of the items covered by serial No. 7 and the eligible importers and exporters will be as indicated in the Appendix to this Public Notice.

3. The Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 57-ITC(PN)/72 dated the 20th April, 1972 may be deemed to have been amended accordingly.

APPENDIX

Commodities/goods	Value (Rs. lakhs)	Eligible exporters in India	Eligible importers Bangladesh.	in
7. (i) Stone Boulders	(a) 10.00	Eligible Exporters.	Directorate of Supply.	
	(b) 6.00	Eligible Exporters.	Bangladesh Railway.	
(ii) Hardwood (including Sal and Teak) and Soft wood.	(a) 30.60	Eligible Exporters.	Trading Corporation of Bangladesh.	
	(b) 8.50	Eligible Exporters.	Directorate of Supply.	
(iii) Lime & Lime Stone	(a) 1.40	Eligible Exporters.	Trading Corporation of Bangladesh.	
	(b) 21.50	Eligible Exporters.	Mineral Oil & Gas Corporation.	
(iv) Dolomites	10.00	Eligible Exporters.	Steel Mill Corporation.	
(v) Unslaked Lime	5.00	Eligible Exporters.	Sugar Mill Corporation	

K. S. NARANG,

Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 29 जनवरी 1973

विषय.—28-3-1972 से 27-3-1973 तक की अवधि के दौरान बांग्लादेश के साथ व्यापार ।

संख्या 11-आई० टी० सी० (पीएन)/73.—उपर्युक्त विषय पर, समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 57 आई टी सी (पीएन)/72 दिनांक 20 अप्रैल, 1972 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. उक्त सार्वजनिक सूचना में, अनुबन्ध 1 जिस में सीमित भुगतान व्यवस्था के अधीन बांग्लादेश को निर्यातों के लिए पण्यवस्तुओं की सूची निहित है, में क्रम संख्या 7 में आने वाली कुछ मदों के संबंध में उच्चतम सीमा और पात्र आयातक और निर्यातक इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में यथानिर्दिष्ट होंगे ।

3. विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 57 आई टी सी दिनांक 20 अप्रैल, 1972 तदनुसार संशोधित की गई समझी जाए ।

परिशिष्ट

पदार्थ/माल	मूल्य (लाख रु० में)	भारत में	बांग्लादेश में पात्र आयातक
		पात्र निर्यातक	
7. (1) गोले पत्थर	क) 10.00	पात्र निर्यातक	निदेशालय
	ख) 6.00	,,	बांग्लादेश रेलवे
(2) सख्त (सखुआ तथा	क) 30.60	,,	बांग्लादेश का व्यापार
सागवान सहित) तथा	ख) 8.50	,,	निगम संभरण निदे-
मुलायम लकड़ी			शालय
(3) चूना तथा चूना पत्थर	क) 1.40	,,	बांग्लादेश का व्यापार
	ख) 21.50	,,	निगम खनिज तथा तेल
			निगम
(4) डोलोमाइट	10.00	,,	इस्पात मिल निगम
(5) अशमित चूना	5.00	,,	चीनी मिल निगम ।

के० एस० नारंग,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।

